


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प. 19(14)शिक्षा-2/2019 जयपुर, दिनांक: 02.09.2021 की अनुपालना में डॉ. ज्योति जोशी, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर में प्रूफ रीडर के पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि में राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-144 "क" के तहत 7 वे वर्ष के लिए अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/ प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2021

दिनांक 06-09-2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
9. संबंधित अधिकारी।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)